कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/ **दिनॉक : , 2018**

<u>नीलामी सूचना</u>

गत् वर्षों की भॉति उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 में अमरूद फसल की बिक्री दिनांक 26.06.2018 के पूर्वाह्न 11:30 बजे खुली बोली/ऑफर के माध्यम से की जायेगी।

नीलामी की शर्ते :–

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक 26.06.2018 को केंद्र के कार्यालय में प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक नकद धनराशि रू0 25000/– जमा करके नीलामी में भाग ले सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भॉति निरीक्षण कर ले। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 25000/– को छोड़कर अन्य सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. बोली की समस्त धनराशियॉं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगीं।
5. उच्चतम बोलीदाता को कुल धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के बाद जमा करना होगा। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 25000/– को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता हैं, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा धनराशि रू0 25000/– को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
6. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को उक्त की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी। सूचना जारी होने के दिनॉक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, उच्चतम धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि केंद्र के कार्यालय में जमा करनी होगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा रू0 25000/– को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता हैं तो वह 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ अगले 15 दिन तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पूर्व मे जमा की गयी धनराशि (रू0 25000+40 प्रतिशत) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 10 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अलग से नकद जमा करनी होगी। ठेका समाप्ति पर नियमानुसार उक्त धनराशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। यदि ठेकेदार निश्चित दिनॉक तक 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि जमा नहीं करता है। तो 20 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा।

9. ठेकेदार को शेष 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। इसमें पूर्व में जमा रू0 25000/– को समायोजित कर लिया जायेगा।

10. शोध कार्य हेतु ठेकेदार को फलो की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी।

लाट सं0	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	शोध कार्य हेतु दिये जाने वाले फल की मात्रा	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से फल तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
1 नम्बर	अमरूद बाग	4बी (3.75 एकड़)	वर्षा कालीन 200 कि0ग्रा0 शीतकालीन 300 कि0ग्रा0	100 फल
2 नम्बर	अमरूद बाग	5, 6बी, 6सी, 12बी (3.50 एकड)	वर्षा कालीन 150 कि0ग्रा0 शीतकालीन 250 कि0ग्रा0	100 फल

11. जिन वृक्षों पर शोध कार्य चल रहा है, उन वृक्षों के फल ठेकेदार द्वारा शोधकर्ता की उपस्थिति में तोड़े जायेगें।

12. नीलामी की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को किसी अन्य फसल से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

13. बोली स्वीकृति होने के पश्चात बोलीदाता को विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू0 100/– के (स्वयं के व्यय पर) नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध करना होगा।

14. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केन्द्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुँचाने की दशा में क्षति पूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।

15. बाग की सफाई, रखवाली, ठेकेदार द्वारा फल तुड़ाई आदि कार्यो पर लगाये गये श्रमिकों की मजदूरी भुगतान कर प्रमाण–पत्र भी केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

16. ठेकेदार द्वारा पके फल ही तोडे जायेगें/कच्चे फल व टहनियो को नहीं तोड़ा जायेगा।

17. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा।

18. अमरूद बागों के ठेके की अवधि दिनॉक 31.03.2019 तक होगी।

(प्रतिभा)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. **लेखाकार, उद्यान अनुसंधान केंद्र**
2. **बिक्री सहायक**